भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2700

05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कोको उत्पादन को बढ़ावा देना

2700. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में कोको की खेती के संबंध में कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में पिछले पांच वर्षों के दौरान कोको उत्पादन की कुल मात्रा का आंध्र प्रदेश में राज्यवार और जिलावार, विशेष रूप से एलुरू जिले में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में कोको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में योजनाओं/पहलों की सूची सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कोको किसानों द्वारा उठाई गई कीमतों में उतार-चढ़ाव और अतिरिक्त चिंताओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान (सीपीसीआरआई) ने कोको की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में अध्ययन किया है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और कर्नाटक के नौ केंद्रों के तहत कोको जीनोटाइप का प्रायोगिक मूल्यांकन शामिल है। पिछले पांच वर्षों के दौरान कोको क्लोन एवम् हाइब्रिड्स का नारियल और ऑयल-पाम रोपण कैनोपी के तेहत बहु-स्थान परीक्षणों के मध्यम से मिट्टी और जलवायु उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया है।

विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार कोको उत्पादन का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। एलुरु, आंध्र प्रदेश के प्रमुख कोको उत्पादक जिलों में से एक है।

(ग): सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से कोको खेती को बढ़ावा देती है, जिसमें आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) शामिल हैं।

एमआईडीएच के तहत कोको की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। काजू एवं कोको विकास निदेशालय (डीसीसीडी), कोच्चि नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है और क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता वृद्धि और प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता करता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान, निदेशालय द्वारा 1218 हेक्टेयर क्षेत्र को कोको की खेती के अंतर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, 33.55 लाख हाइब्रिड पौधे की क्षमता वाली 11 कोको नर्सरी को गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उत्पादन के लिए मान्यता दी गई है। आईसीएआर-सीपीसीआरआई ने बेहतर पैदावार के साथ 8 कोको किस्मों को जारी किया है और कैनोपी प्रबंधन, उच्च घनत्व वाले रोपण, हेज सिस्टम और बहुप्रजातियों की फसल जैसी वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां विकसित की है।

(घ): कोको एक वाणिज्यिक फसल होने के नाते, इसकी कीमतें बाजार-संचालित है एवम् अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कारकों से प्रभावित होती हैं। 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार ने ₹50/किलोग्राम (किग्रा) के समर्थन मूल्य पर बिना बिके कोको बीन्स की खरीद के लिए ₹14.88 करोड़ की मंजूरी दी है। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 3776 किसानों से कोको बीन्स की कुल 2358.92 मीट्रिक टन (एमटी) की खरीद की गई।

अनुलग्नक-I

भारत में विगत पांच वर्षों के लिए कोको के राज्य-वार उत्पादन का विवरण

						उत्पादन '000 एमटी में
क्र .सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	आंध्र प्रदेश	10.40	10.90	11.45	12.14	12.38
2	कर्नाटक	3.50	3.70	3.91	4.06	4.14
3	केरल	9.20	9.60	10.13	10.54	10.75
4	तमिलनाडु	2.70	2.80	2.94	3.06	3.12
अखिल भारत		**25.80**	**27.00**	**28.43**	**29.80**	**30.39**

अनुलग्नक-II

एमआईडीएच के तहत कोको बागान को बढ़ावा देने के लिए सहायता का विवरण

घटक	लागत मानक	सहायता का प्रकार
काजू और कोको का क्षेत्र विस्तार (क) ड्रिप सिंचाई के बिना **(i)** नियमित अंतराल (ड्रिप सिंचाई को अन्य योजनाओं के साथ संयोजित किया जाना चाहिए)	Rs 75,000 /हे.	सामान्य क्षेत्रों में 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 40% की दर से सहायता दी जाएगी, ताकि रोपण सामग्री और अन्य इनपुट लागत पर व्यय को 60:40 के अनुपात में 2 किश्तों में पूरा किया जा सके, बशर्ते कि दूसरे वर्ष में सर्वाइवल रेट 80% हो। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट विलेजेज, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के संदर्भ में, 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए आनुपातिक आधार पर 50% की दर से सहायता दी जाएगी।
(ख) अंतरफसल के साथ	Rs 50,000 /हे.	

******